



# अखिल भारतीय कुर्मि क्षत्रिय महासभा

## ALL INDIA KURMI KSHATRIYA MAHASABHA

कुर्मि एल.पी. पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, फोन : 0755-2612651, मो.: 09425392434

केन्द्रीय कार्यालय : सरदार पटेल स्मारक अतिथि निवास, एस-14, अंधरापुल, वाराणसी (उ.प्र.) फोन : 0542-2201321  
भोपाल कार्या. : 22, वसुन्धरा कालोनी, बैंक कालोनी के पास, जहांगीराबाद, भोपाल - 462008 (म.प्र.) फोन : 0755-2574434

क्रमांक : अ.भा.कु.क्ष.महासभा/ 33

दिनांक : 09.10.2020

प्रिय श्री कुर्मी भाईयों एवं बहनों,

**विषय- विभिन्न सामाजिक विकास कार्यक्रमों का समय पर क्रियान्वयन करने बाबत।**

अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा द्वारा समय समय पर सामाजिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश समय समय पर किए जा रहे हैं। पिछले 6-7 माह से कार्यक्रम क्रियान्वयन कॉरोना वायरस (COVID 19) जैसी महामारी के कारण बाधाएं आई हैं। शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए सामाजिक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होना है। जो निम्नानुसार है :-

- 1) प्रदेश, जिला, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर तक सामान्य /महिला/युवा एवम् छात्र परिषद का गठन करना।
- 2) नियमित मासिक बैठक का आयोजन (पंचायत स्तर पर माह के प्रथम रविवार, विकास खंड स्तर पर द्वितीय रविवार, जिला स्तर पर तृतीय रविवार तथा प्रदेश स्तर पर त्रैमासिक) करना।
- 3) जिलों में प्रदेश के पदाधिकारी, विकास खंड में जिले के पदाधिकारी एवं ग्राम पंचायत में विकास खंड के पदाधिकारी प्रभारी अधिकारी होंगे जिन्हें प्रभार सौंपा जाए जो नियमित रूप से मासिक बैठकों में भाग लेंगे जो पदाधिकारी लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें भविष्य के लिए सचेत किया जाए और यदि फिर भी अनुपस्थित रहते हैं तो पदच्युत करने की कार्यवाही की जाए।
- 4) सभी स्तर के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों को महासभा की आजीवन सदस्यता निर्धारित प्रक्रिया के तहत लेना अनिवार्य होगा अन्यथा वे पदाधिकारी होने की पात्रता नहीं रख सकेंगे।
- 5) समाज की पहचान हेतु प्रत्येक महिला एवं पुरुष अपने नाम के पूर्व कुर्मी शब्द अनिवार्य रूप से लगाएं तथा जन्म जाति प्रमाण पत्र में पूर्व से ही कुर्मी शब्द का उपयोग करें।
- 6) फिरका परस्ती को तोड़ें क्षेत्रीयता की बात छोड़ें, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्वाजाति में रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ें।
- 7) प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष युवा युवती परिवार परिचय सम्मेलन तथा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन अनिवार्य रूप से करना।
- 8) प्रत्येक स्तर पर सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक तथा व्यवसायों के अनुरूप विकास कार्यक्रम, साहित्य लेखन, विधिक सहायता, कृषि विकास मोर्चा, स्वस्थ सहायता, समन्वय एवं प्रचार प्रसार आदि विकास समितियों का गठन करना।
- 9) समाज के समग्र विकास के लिए निम्न क्षेत्रों में भागीदारी की आवश्यकता है-
  - क) प्रशासनिक क्षेत्र
  - ख) व्यावसायिक क्षेत्र
  - ग) राजनैतिक क्षेत्र
  - घ) विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र
  - च) कृषि क्षेत्र
  - छ) अनुसंधान क्षेत्र
  - ज) सूचना एवं प्रद्योगिकी क्षेत्र
  - झ) साहित्य एवं लेखन क्षेत्र
  - ट) ऐतिहासिक एवं पुरातत्व क्षेत्र
  - ठ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र

- ड) राष्ट्रीय रक्षा का क्षेत्र  
ढ) सांस्कृतिक क्षेत्र  
ण) खेल कूद क्षेत्र  
त) कैरियर काउंसिलिंग एवं अन्य आदि क्षेत्रों में

उक्त क्षेत्रों में समाज के युवा युवतियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कैरियर काउंसिलिंग के माध्यम से विषय के क्षेत्र का निर्धारण कर कोचिंग का आयोजन करना।

- 10) प्रत्येक राज्य में प्रदेश एवं जिला स्तर पर वार्षिक अधिवेशन का आयोजन ( सामान्य महिला, युवा एवम् छात्र परिषद) का गठन करना।
- 11) प्रत्येक राज्य में व्यवसायों के अनुरूप उत्पाद एवं उत्पादको की सूची पूर्ण पते एवं नियमावली के साथ तैयार करना।
- 12) राजनैतिक विकास हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के प्रादेशिक एवं जिला संगठनों के अध्यक्षों की प्रत्येक स्तर पर बैठक आमंत्रित करें जिसमें संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित कर राजनैतिक मोर्चा की स्थापना करें एवं आगामी राजनैतिक चुनाव में संबंधित समाज की बहुलता के आधार पर आपसी तालमेल के साथ टिकट बंटवारा करें।
- 13) महिलाओं की राजनीति में 50प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करना।
- 14) मातृ शक्ति, युवा एवम् छात्र शक्ति की विभिन्न क्रियाकलापों में जो उनके स्तर की हो, भागीदारी एवम् उत्तरदायित्व सौंपना।
- 15) कन्या भ्रूण हत्या एक पाप है, बेटी बचाओ अभियान चलाएं जिसका प्रचार प्रसार पोस्टर, पम्पलेट, बैनर एवम् मीडिया के माध्यम से किया जाए।
- 16) प्रदेश एवं जिला स्तर पर उपलब्ध सामाजिक भवनों, छात्रावासों एवम् विद्यालयों में सामान्य, महिला, युवा शक्ति एवं छात्र को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कृषि, पत्रकारिता, समन्वय प्रचार प्रसार आदि विभिन्न विषयों पर अलग अलग तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन करना। अच्छे प्रशिक्षकों की सूची तैयार की जाए, जिनके द्वारा प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण की जाए।
- 17) राजनीतिज्ञ, साहित्य एवं लेखन, पत्रकारिता, विधिक सलाहकारों, प्रशासकीय अधिकारियों आदि की अलग अलग सूची तैयार की जाए और जिले में उनकी अलग अलग बैठक आयोजित करें। प्रत्येक स्तर पर कर्मचारी संघ की स्थापना भी की जाए।
- 18) सामाजिक भवनों में सांस्कृतिक मंच की स्थापना की जाए जहां प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर के छात्र छात्राओं को वाद विवाद, संगीत नृत्य, परिसंवाद, खेल कूद, नाटक, प्रहसन आदि का प्रशिक्षण दिया जाए जिसके लिए स्वयं कार्ययोजना तैयार करना एवं प्रशिक्षण आयोजित करना।
- 19) सभी राज्यों के सभी विकासखंडों के प्रत्येक गांवों में एक-एक सामाजिक पुरोहित प्रशिक्षित करना। यह प्रशिक्षण अर्जक पद्धति, बौद्ध पद्धति एवं गायत्री पद्धति स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित किए जाएं। उदाहरण के रूप में - छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में श्री बी.आर.कौशिक ( मो. 9424153582) एवं श्री जितेन्द्र सिंगरौल ( मो. 9425522629) के माध्यम से पुराहितों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है और आप दिए गए मोबाईल नं. पर संपर्क कर सकते हैं।
- 20) वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए यह आवश्यक है कि सोशल मीडिया का बेस तैयार किया जाए जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर के हर परिवार तक संदेश भेज सके। इसको सामाजिक संगठन के माध्यम से शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक जोड़ा जाए।
- 21) दिनांक 31/10/2020 को भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145 वीं जयंती पूर्व दिशनिर्देशों के अनुसार मनाई जाए।
- 22) प्रत्येक राज्यों की राजधानी में पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान (ट्रस्ट) का पंजीयन कर भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए। यह भवन राज्य स्वयं ट्रस्ट तैयार कर निर्माण कराएं।

कृपया उपरोक्त कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करें एवं उसकी कार्यवाही हेतु विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए एवं समय समय पर कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते रहें।

इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु आर्थिक व्यवस्था प्रदेश एवं जिला कोष एवम् जन सहयोग के माध्यम से करें। यह एक सामाजिक कार्य है इसके लिए यदि समाज में आपको सामाजिक कार्य करने हेतु जिम्मेदारी सौंपी है तो आपकी यह जवाबदारी है कि समर्पित भावना से समय दान देकर तन, मन, धन से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समय सीमा पर करें। यही सही समाज सेवा है।

कृपया किए गए कार्य की प्रगति अधोहस्ताक्षरित को समय समय पर निम्न पते पर ईमेल/वाॉट्सएप/डाक के माध्यम से भेजते रहे।  
उक्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कोरोना वायरस के चलते समय शासन-प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य करें।

**शुभकामनाओं सहित**

( डॉ. विजय सिंह निरंजन )

आई.ए.एस. (से.नि.)

राष्ट्रीय महासचिव

अ.भा.कू.क्ष. महासभा

एल पी पटेल

राष्ट्रीय अध्यक्ष

अ.भा.कू.क्ष. महासभा